

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	परमेश्वर कुमार राय पिता- दुलारचंद्र राय ग्राम- महमूद चक नयागांव पो०+थाना- नयागांव जिला- सारण सीआर नं०- 108112600591320	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	लक्ष्मी दास पिता- झकसु दास ग्राम- मझौवा पो०- राम बिशनपुर थाना- प्रतापगंज जिला- सुपौल सीआर नं०- 108112601466073	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	धनमंती देवी पति- स्व० सीताराम सिंह ग्राम- शाहपुर चक उमर पो०- लक्ष्मीपुर थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर नं०- 108112502422099	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	कमरून निशा पति- मो० तमीज ग्राम- शिकारपुर पो०- महमदिया थाना- कसबा जिला- पूर्णियाँ सीआर नं०- 108112601851732	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सुजीत कुमार पिता- गनौर पासवान ग्राम- शेरपुर हाजीपुर पो0- जडुआ थाना- गंगाब्रिज जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112503019883	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	शारदा देवी पति- विरेन्द्र सिंह ग्राम- अमवा मझार वार्ड 11 पो0- अमवा मझार थाना- मुफरिसल जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 108112503538074	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	बचा देवी पति- स्व0 रामजित मुखिया ग्राम- बेखबरा पो0- मझिया वृत्त थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 108112601495120	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मुन्नी देवी पति- सत्येन्द्र सिंह ग्राम- नियर ब्लॉक रोड वार्ड 05 मटिहारी पो0- मटियारी थाना- फारबिसगंज जिला- अररिया सीआर नं0- 108112601470861	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मिथलेश देवी पति- विलाश कुमार ग्राम- अमजदपुर पिढौली वार्ड 04 पो0- पिढौली थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112600710817	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	बबुली देवी पति- आनंद गहतो ग्राम- चित्रसेनपुर पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर नं0- 108112601492848	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	संजना देवी पति- शशि भूषण सिंह ग्राम- घेघटा वार्ड 04 पो0- रहीमपुर थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर नं0- 108112601701218	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	नीमा देवी पति- सजय राउत ग्राम- छोटी धरहरा वार्ड 01 पो0+थाना- बाराहाट जिला- बाका सीआर नं0- 108112601472103	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मंजू देवी पति- बृजेश कुमार ग्राम- कोरारी वार्ड 03 पो0- कोरारी थाना- नगरनौसा जिला- नालदा सीआर नं0- 108112600003959	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	राम प्रकाश यादव पिता- दोरिक यादव ग्राम- राजापुर वार्ड 08 पो0- उलाओ थाना- मुफसिल जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112503025034	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	नसरीन बेगम पति- मो0 अश्फाक आलम ग्राम- अल्ताबरी वार्ड 08 पो0- गंगीहाट थाना- बहादुरगज जिला- किशनगज सीआर नं0- 108112601904259	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	माया देवी पति- रामचंद्र यादव ग्राम- बेलही वार्ड 10 पो0- थरबिड्डा थाना- किशनपुर जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112601123761	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	शम्भू कुमार यादव पिता- सूर्य नारायण यादव ग्राम- टेंगरार वार्ड 09 पो0- टेंगरार थाना- खुटौना जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112501226440	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	युगेश्वर यादव पिता- अधिक लाल यादव ग्राम- झिंगवा वार्ड 10 पो0- गिदराही थाना- मरौना जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112601509953	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

	कुलानन्द यादव पिता- भैया लाल यादव ग्राम- कुमरगज वार्ड 13 पो0- थरबिहटा थाना- किशनपुर जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112601470470	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	लालबाबू जमादार पिता- स्व0 सुखू जमादार ग्राम- इसहाकपुर पो0- सालेहपुर थाना- तेल्हारा जिला- नालदा सीआर नं0- 108112601656107	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	इजराइल मिया पिता- नदली मिया ग्राम- पुरानीडीह भोपतपुर पो0+थाना- भोपतपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 108112601570687	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	सुनैना देवी पति- गोरख नाथ राय ग्राम- खाप जटौर पो0- बलुआ थाना- गुठनी जिला- सिवान सीआर नं0- 108112600047905	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	चन्द्रप्रभा देवी पति- दामोदर प्रसाद यादव ग्राम- भवानीपुर वार्ड 07 पो0- सीतापुर थाना- वीरपुर जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112501015163	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
	उषा देवी पति- रामाशीष सहनी ग्राम- हनुमाननगर बोधोपुर पो0- नदेनगर बलहा थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112601826401	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	आरती देवी पति- शिव नारायण यादव ग्राम- सिमलिया वार्ड 01 पो0- तलबारी थाना- अमौर जिला- पूर्णिया सीआर नं0- 108112601988037	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	नीतू कुमारी पति- सजीव कुमार ग्राम- मोहब्बतपुर पो0- पनहेश थाना- शेखोपुरसराय जिला- शेखपुरा सीआर नं0- 108112601433160	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मो0 इसताक पिता- मो0 जाकीर ग्राम+पो0- मसीना थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112601544295	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	राम वृक्ष शर्मा पिता- लतर शर्मा ग्राम+पो0- कुजौरी थाना- आलमनगर जिला- मधेपुरा सीआर नं0- 108112601641550	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	सचिन कुमार पिता- दिनेश राय ग्राम- डुमरी दक्षिणी पो0- डुमरी थाना- मोहनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112601824956	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	मधु कुमारी पति- समरेश कुमार पासवान ग्राम- बसंतपुर वार्ड 06 पो0- उधरा थाना- पतौर जिला- दरभंगा सीआर नं0- 108112600178091	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	राजेंद्र प्रसाद चौधरी पिता- सत्य नारायण चौधरी ग्राम- पिपराही वार्ड 14 पो0+थाना- राघोपुर जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112600390821	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	हरेन्द्र नारायण सिंह पिता- राम एकवाल सिंह ग्राम- मरवा बसहियाँ वार्ड 12 पो0- सोनबरसा थाना- पानापुर जिला- सारण सीआर नं0- 108112403154708	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	नवीशा परवीन पति- मो० जफीर अंसारी ग्राम- क्योटापट्टी पो०- अभुआर थाना- किशनपुर जिला- सुपौल सीआर न०- 108112403238944	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	तौफिक अहमद पिता- इस्तियाक अहमद ग्राम+पो०-सिघारा थाना- दुल्हिन बाजार जिला- पटना सीआर न०- 108112601860529	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	सरस्वती देवी पति- मोहन सिंह ग्राम+पो०- सेनुवरिया थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 108112601464666	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	प्रमेश्वर राय पिता- तीला राय ग्राम- फतेहपुर गिरमिशनी वार्ड 10 पो०- फतेहपुर गिरमिशनी थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112600761209	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	मीना देवी पति- महेशी महतो ग्राम- पचटकी यदु वार्ड 08 पो०- पचटकी यदु थाना- बैरगनिया जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112301251717	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
	लुखिया देवी पति- मटुकी यादव ग्राम- सपटियाही वार्ड 07 पो०- नरियार थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर न०- 108112601732873	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	सुलोचना देवी पति- सत्यनारायण प्रसाद सिंह ग्राम- राजेंद्र चौक पो०+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न०- 108112601878401	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	कविता देवी पति- जय प्रकाश मडल ग्राम- महलगॉव टोला वार्ड 12 पो0- खवासपुर थाना- पीरपैती जिला- भागलपुर सीआर नं0- 108112601740299	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	रीना देवी पति- रविद्र कुमार रजक ग्राम- गौरा वार्ड 08 पो0+थाना- रामपुर चौरम जिला- अरवल सीआर नं0- 108112300951251	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	दिनेश चौहान पिता- एतवारी चौहान ग्राम- रामादेश पो0- बसाढी थाना- मोहनपुर जिला- गयाजी सीआर नं0- 108112401122795	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	शमू साव पिता- बाबूलाल साह ग्राम- जगदीशपुर पो0- बसत थाना- गरखा जिला- सारण सीआर नं0- 108112601889110	RE Cataract +Injection	10,000	दस हजार स्वीकृत।
44	हरि नारायण यादव पिता- रामेश्वर यादव ग्राम- भदुली ब्रह्मोतरा पो0- अरेर हाट थाना- अरेर जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112300023176	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	हसबुन नेशा पति- सत्तार महम्मद ग्राम- बुचिया पो0+थाना- सिंधवलिया जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 108112503607858	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	लता देवी पति- विजय झा ग्राम- रामपट्टी पो0+थाना- सिहेश्वर जिला- मधेपुरा सीआर नं0- 108112601674202	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	लक्ष्मी कुमारी पति- सुभाष कुमार ग्राम- सिरवार वार्ड 03 पो0- मैना ग्राम थाना- महिषी जिला- सहरसा सीआर न0- 108112502040374	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
48	साधना कुमारी पिता- सीताराम सहनी ग्राम- नौला वार्ड 10 पो0- नौला थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112601097981	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
49	रवीन्द्र कुमार सिंह पिता- शैलेन्द्र कुमार सिंह ग्राम+पो0- डुमरी कलां थाना- मेजरगंज जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112601043857	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
50	सरस्वती देवी पति- ब्रह्मदेव मिस्त्री ग्राम - मेदनीपुर पो0- गौरा थाना- लक्ष्मीपुर जिला- जमुई सीआर न0- 103112503621362	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
51	सुनीता देवी पति- नितेश साह ग्राम- खम्हिया पो0+थाना- इनरवा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112402855133	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
52	रामाशकर सिंह पिता- मोहर सिंह ग्राम+पो0- अरना थाना- मशरक जिला- सारण सीआर नं0- 108112300017583	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
53	राजबलम सिंह पिता- काशी सिंह ग्राम+पो0- मटिहानी माधो थाना- मीरगंज जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112300327337	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

54	रीता देवी पति- प्रमोद सिंह ग्राम- दूबहों पो0- कृष्णानगर थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 108112601082801	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	शैल देवी पति- सतोष शर्मा ग्राम+पो0- बरहिमा थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 108112300325601	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	शांति देवी पति- जिम्दार राय ग्राम- कुआरी मदन टोला पो0+थाना- मेजरगंज जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112600706101	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
57	उर्मिला देवी पति- रामनाथ कामत ग्राम- देवनाथपट्टी पो0- हटनी थाना- घोघरडीहा जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112301006500	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
	भोलम देवी पति- विष्णुदेव दास ग्राम+पो0- श्रीनगर थाना- घैलाढ जिला- मधेपुरा सीआर नं0- 108112500080227	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
	समुंद्री देवी पति- जगन्नाथ पंडित ग्राम- शाहपुर पो0- बिशुनदातपुर थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 108112300368335	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	मंजू देवी पति- संतोष कुमार ग्राम- गुलौरा पो0- करवताही बाजार थाना- गोपालपुर जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 108112600453008	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			47,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 47,10,000/- (सैंतालीस लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या-

36 21380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **000871** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-**503 2011 9556** खाता धारक का नाम-“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 उक्त राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- 8 आ.प्र.भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुकों को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

क्र 2347(14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बैंक सं0 **000871** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

होमी भाभा कैंसर अस्पताल,

एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,

उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामरती देवी पति- विजली दास ग्राम- परोहा पो०+थाना- कथैया जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- केई/81528	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	हरिकांत मंडल पिता- सुखदेव मंडल ग्राम+पो०- बहसा थाना- पिपरा जिला- सुपौल केस फाईल नं०- 19एफ2026/005133	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अरमान खान पिता- इमामुद्दीन खान ग्राम- भागलपुर पिरो पो०+थाना- पीरो जिला- भोजपुर केस फाईल नं०- 19एफ2026/005641	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	शत्रुघ्न तिवारी पिता- राम हृदय तिवारी ग्राम+पो०- कथौर थाना- परसौनी जिला- सीतामढ़ी केस फाईल नं०- 19एफ2026/004747	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	उर्मिला देवी पति- रामजन्म ठाकुर ग्राम+पो0- सादिकपुर थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025 / 003255	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	भुलन राय पिता- राजन राय ग्राम- महमदपुर पो0- सबनिमा थाना- बखतियारपुर जिला- पटना केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 003412	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	मृत्युंजय कुमार पिता- बिशेश्वर प्रसाद ग्राम- रसलपुर पो0+थाना- बिंद जिला- नालंदा केस फाईल नं0- 11एफ2025 / 028268	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	मणीभूषण कुमार पिता- विरेन्द्र भगत ग्राम- खजुरिया पो0- बहादुरपुर थाना- गोविन्दगंज जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 004556	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	शिवम पिता- पवन कुमार ग्राम- मोलना बिगहा पो0- ओन्दा थाना- सरे जिला- नालंदा केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 005892	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	पुरुष गौतम कुमार पिता- जितेन्द्र साह ग्राम- रसिदपुर पो0+थाना- शिवहर जिला- शिवहर केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 005012	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
11	अनीता देवी पति- दिनेश सहनी ग्राम- खरसाल जोगौलिया पो0- रूपनी थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 003692	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

12	सावन कुमार पिता- दिनेश कुमार ठाकुर ग्राम+पो0- पकडी पकोही थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2026/005550	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	जीनत प्रवीण पति- मो0 सब्बीर ग्राम+पो0- कमरौव थाना- दलसिंहसराय जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं0- 19एफ2026/003405	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
14	सुरेन्द्र साह पिता- असरफी साह ग्राम+पो0- मौदह थाना- सहियारा जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2026/004453	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
15	रोखसाना पति- मुस्ताक ग्राम- मोहिउद्दीनपुर पो0+थाना- हबीबपुर जिला- भागलपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025/002139	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	सैदा खातून पति- खुदा बक्श ग्राम+पो0- बिशुनपुर महानद थाना- कौंटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2026/005015	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	कुनाल कुमार पिता- अमरेन्द्र सिंह ग्राम+पो0- ओलापुर गंगौर थाना- गंगौर जिला- खगडिया केस फाईल नं0- सीवी/28670	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	अम्बालिका कुवर पति- योगेद्र पाठक ग्राम- सिरकोहिया पो0+थाना- जैतपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025/003985	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
19	शिवनाथ मल्लिक पिता- विशेश्वर मल्लिक ग्राम- माधव नगर पो0+थाना- किशनगंज जिला- किशनगंज केस फाईल नं0- 19एफ2026/001651	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

20	गायत्री देवी पति— सोनेलाल साह ग्राम— बनझुला पो0— बारा चकिया थाना— चकिया जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0— 19एफ2025 / 005015	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	फूल देवी पति— लक्ष्मी दास ग्राम— रानीपुर पो0— सुंदरपुर बीरा थाना— सदर जिला— दरभंगा केस फाईल नं0— 19एफ2023 / 001831	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
22	मास्टर अयान कुरैशी पिता— इस्लाम कुरैशी ग्राम— ब्रह्मपुरा पो0— एमआईटी थाना— ब्रह्मपुरा जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0— 19एफ2023 / 002082	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	कविता देवी पति— विजय महतो ग्राम— पचरा पो0— शरवरपुर थाना— तरियानी जिला— शिवहर केस फाईल नं0— 19एफ2026 / 001326	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
24	प्रमिला देवी पति— शम्भू साह ग्राम— सिकटा बाजार पो0+थाना— सिकटा जिला— पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं0— 19एफ2025 / 007224	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
25	अखिलेश कुमार पिता— भोला सहनी ग्राम— महम्मदपुर मझौलिया पो0— सलेमपुर थाना— राजेपुर जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0— 19एफ2026 / 004168	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
26	दुलारी देवी पति— जवाहर साह ग्राम— बहीरी पो0— मारपा ताहिर थाना— बैरगनिया जिला— सीतामढ़ी केस फाईल नं0— 19एफ2026 / 003911	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

2	किरण देवी पति- अशोक कुमार मिश्रा ग्राम- महेशपुर पो0- टेपरी थाना- हत्था जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025/001660	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
28	पूनम देवी पति- श्याम चन्द्र महतो ग्राम- भलूआहा पो0- हनुमाननगर थाना- सोनबरसा जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2024/005257	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
29	बबलु प्रसाद साह पिता- छेदी साह ग्राम- तिनपनिया कसबा पो0+थाना- कसबा जिला- पूर्णिया केस फाईल नं0- 11एफ2025/031948	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
30	योगेन्द्र चौधरी पिता- स्व0 घमंडी चौधरी ग्राम- आजमनगर पो0- रामपुर कोदरकट्टी थाना- अररिया जिला- अररिया केस फाईल नं0- 11एफ2026/002225	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
	शिवजी सहनी पिता- अशर्फी सहनी ग्राम+पो0- कंसी थाना- सिमरी बाजार जिला- दरभंगा केस फाईल नं0- 19एफ2026/002695	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
	इन्द्र कला देवी पति- प्रमोद राय ग्राम- नरहा कला पो0- चिनगीतकिया थाना- बाजपटी जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2025/000746	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
33	रशीदा खातून पति- शहजाद आलम ग्राम+पो0- अहिरौलिया थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2026/004989	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

34	गुलनाज खातुन पति- मो० शकील ग्राम- झिटकाही मधुबन पो०- महारथ थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- सीवी/24279	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
35	सीता देवी पति- राजेंद्र शर्मा ग्राम+पो०- पुरुषोत्तमपुर थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- 19एफ2026/005832	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
36	मनटुन मंडल पिता- चुल्हाई मंडल ग्राम+पो०- भरथुआ थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- 19एफ2025/001341	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
37	अशोक कुमार पिता- मुद्रिका प्रसाद ग्राम+पो०- मझाड थाना- पकडीदयाल जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं०- 19एफ2026/004614	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
38	जलेश्वरी देवी पति- रामकृपाल ठाकुर ग्राम- लक्ष्मीनिया पो०- लदनिया थाना- लदनिया जिला- मधुबनी केस फाईल नं०- 19एफ2026/001911	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
39	लीला देवी भददु मंडल पति- खंतर मंडल ग्राम- सतारे पो०- केहुनिया थाना- प्राणपुर जिला- कटिहार केस फाईल नं०- 11एफ2025/015001	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
40	शांति देवी पति- शिवजी पासवान ग्राम- सूबधिया नूर पो०- बलरा इस्माइल थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- 19एफ2026/004514	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

41	नरेंद्र सिंह पिता- धर्मदेव सिंह ग्राम- कोन्ध पो0- रामपुररुद्रा थाना- पानापुर जिला- सारण केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 004331	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
42	प्रभावती देवी पति- वकील राम ग्राम- पुरैना पो0- राछोपाली थाना- बडहरिया जिला- सिवान केस फाईल नं0- 19एफ2025 / 004908	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
43	गीता देवी पति- छोटन साह ग्राम- सोनार पो0- पोखभिंडा थाना- रीगा जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2025 / 005614	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
44	महजिदन खातून पति- मो0 नूरशलाम ग्राम- शाहपुर पगरा पो0- पगरा थाना- दलसिंहसराय जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं0- 11एफ2025 / 032972	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
45	हीरा देवी पति- जवाहर राय ग्राम+पो0- कमरौल थाना - पिपराही जिला- शिवहर केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 004623	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
46	सुबोध मंडल पिता- बिंदेश्वर मंडल ग्राम+पो0- नरहा थाना- सुपनी जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 004620	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
47	मुस्ताक आलम पिता- नसरुद्दीन अहमद ग्राम- असंदापुर पो0- जगरनाथ थाना- उचकागाव जिला- गोपालगंज केस फाईल नं0- सीवी / 00738	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

48	सोनू कुमार पिता- यमुना प्रसाद गुप्ता ग्राम- टीचर्स कॉलोनी हिसुआ पो0- हिसुआ थाना- हिसुआ जिला- नवादा केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001846	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
49	बिना देवी पति- किशोरी पासवान ग्राम- कोरीगामा पो0- तितरा आशानद थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2024 / 004743	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
50	कुमारी नीतू पति- सुधाशु कुमार ग्राम+पो0- बेरई थाना- हथौडी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 001436	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
51	लीला वती देवी पति- हरिहर पटेल ग्राम+पो0- चनायन बॉध थाना- मझोलिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026 / 005987	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
52	अरविन्द सिंह पिता- रामाशीष सिंह ग्राम- हरिगांव पो0- बुधई खुर्द थाना- उपहारा जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0- 12एफ2025 / 001236	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
53	मीना देवी पति- राजकिशोर मिश्र ग्राम- तेजपुरवा मिश्र टोला पो0- सोनवाल थाना- मलाही जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025 / 004697	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
54	शिवजी महतो पिता- रासबिहारी महतो ग्राम- फुलवरिया 3 पो0- बरौनी थाना- फुलवरिया जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001673	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

55	अरविन्द कुमार पिता- राम नंदन पाण्डेय ग्राम- बावन बीघा रोड न0- 47 कन्हौली बिशुनदत्त पो0- रमना थाना- मिठनपुरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2026/001824	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
56	जूनि देवी पति- रामा कात शर्मा ग्राम- सुबैया पो0- रघुनाथपुर थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2026/003295	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
57	कृष्णानंद गुप्ता पिता- स्व0 सीताराम साह ग्राम- मियाचक चट्टी रोड पो0- बेगूसराय थाना- बेगूसराय जिला- बेगूसराय केस फाईल नं0- 19एफ2026/005654	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
58	नितीश कुमार पिता- रविदर पांडेय, ग्राम- हीरपुर पो0+थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली केस फाईल नं0- 19एफ2026/005563	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
59	सिकंदर सिंह पिता- अम्बिका सिंह ग्राम- गोआएचक पो0- पितवांस थाना- पिपलावा जिला- पटना केस फाईल नं0- 11एफ2024/010331	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
60	नजीर आलम पिता- शेख जलील ग्राम+पो0- तेलुआ थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2026/005506	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	राजीव कुमार राय पिता- अखिलेश्वर राय ग्राम- नारेपुर पो0+थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय केस फाईल नं0- 19एफ2026/005255	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

62	अरविन्द कुमार सिंह पिता- राम प्रवेश सिंह ग्राम- मगध कॉलोनी रोड नं०- 10 पो०- चदौती थाना- मगध मेडिकल जिला- गयाजी केस फाईल नं०- 19एफ2026 / 002115	कैंसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
63	बीरेद्र कुमार मुनिकेश पिता- स्व० रीशेश्वर प्रसाद ग्राम- विकाश कॉलोनी लेन नं०- 2 पो०- महेन्द्रू थाना- आलमगंज जिला- पटना केस फाईल नं०- 19एफ2026 / 003366	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	वकील अंसारी पिता- इस्माइल अंसारी ग्राम- गुरवलिया अंसारी टोला पो०- गुरवलिया थाना- मनुआपुल जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं०- 19एफ2026 / 004627	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	रजना देवी पति- चद्रभूषण सिंह ग्राम- बदरखा पो०- मकवा थाना- असरगंज जिला- मुंगेर केस फाईल नं०- 11एफ2024 / 030047	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	मास्टर मनन पटेल पिता- सजीत कुमार ग्राम- अतरहद मई सीन पो०- रमना थाना- सदर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- 19एफ2026 / 006025	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	गीता देवी पिता- स्व० बिनदा साह ग्राम- घुसुकपुर कालीबाग पो०- बेतिया थाना- कालीबाग जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं०- 19 एफ 2025 / 004766	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	इशरत जहाँ पति- मो० शमशे आलम ग्राम- मुस्तफापुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- 19 एफ 2026 / 003583	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

69	अकाली पति- असीरउद्दीन ग्राम- उत्तर भेलागुडी पो- बी0बी0 भरतपुर थाना- सुखानी जिला- किशनगंज केस फाईल नं0- 11 एफ 2025 / 004354	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			43,60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 43,60,000/- (तैंतालीस लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 000871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में विनीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपशान्त शेष/अनुपयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

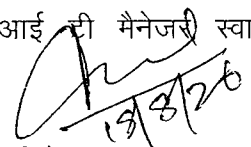
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2349 (14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई सी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो0 अल्ताफ खान पिता- अब्दुल गफ्फार खान ग्राम-पो0- मानपुर थाना- खैरा जिला- सारण सीआर न0- 109112601510777	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मो0 मुस्तकीम पिता- अब्दुल सत्तार ग्राम- गेवाल बिगहा हिंदो स्कूल वार्ड 34 पो0- चोंद चौरा थाना- रामपुर जिला- गयाजी सीआर न0- 109112601545554	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	विराज कुमार पिता- चन्दन कुमार ग्राम- गोपालपुर थाना- नयागाव जिला- सारण सीआर नं0- 109112502166835	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	आनंद कुमार सिंह पिता- चिंतामणि सिंह ग्राम- फतेहपुर वार्ड 03 पो0- फतेहपुर थाना- अकबरपुर जिला- नवादा सीआर न0- 109112502251310	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अहिल्या देवी पति- केशव तिवारी ग्राम- धनौती वार्ड 03 पो0- मशरक थाना- पानापुर जिला- सारण सीआर नं0- 109112600200171	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	मजू देवी पति- रामअयोध्या शर्मा ग्राम- अकबरपुर वार्ड 12 पो0- सीतलपुर थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर नं0- 109112200628350	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	कंचन देवी पति- कृष्ण कुमार सिंह ग्राम- फतेहपुर राम वार्ड 04 पो0- कन्हौली थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर नं0- 109112400826725	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सध्या देवी पति- सतोष कुमार दुबे ग्राम- कुदरा वार्ड 10 पो0+थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ सीआर नं0- 109112402262519	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	समर्थ कुमार पिता- पंकज कुमार खरवार ग्राम- खैरटिया पो0- तेतिया डीह थाना- मनुआपुरल जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 109112601146412	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	मीना देवी पति- कन्हाई सिंह ग्राम- सोनी पो0- खैरादीप थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद सीआर नं0- 109112601110809	राईट हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
11	दीपेन्द्र प्रसाद सिंह पिता- स्व0 राजेंद्र प्रसाद ग्राम- अशोक नगर पो0- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना सीआर नं0- 109112601251923	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

12	कैली देवी पति- इन्द्रदेव यादव ग्राम- कालडी पो0- मादिल थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद सीआर न0- 109112601513849	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	जुबैदा खातून पति- मो0 इसराइल ग्राम- डीह सरसौना पो0- गौसपुर सरसौना थाना- बगरा जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 109112502029323	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	अंशु कुमारी पिता- गणेश प्रसाद सिंह ग्राम- कमला गार्डन बसवरिया पो0+थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी सीआर नं0- 109112601103021	हीप रिप्लेसमेंट (लेफ्ट)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	जीतेन्द्र चौधरी पिता- जगदीश चौधरी ग्राम- सियारी गया पो0- सिविल एरोड्राम थाना- मगध मेडिकल जिला- गयाजी सीआर न0- 109112600126761	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	जुली देवी पति- रविद्र साव ग्राम- बडकी महमदपुर पो0- सबनिमा थाना- बखतियारपुर जिला- पटना सीआर न0- 109112601217743	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
17	शांति देवी पति- बैजनाथ चौधरी ग्राम- सडा पो0- मटपा थाना- अम्बा जिला- औरंगाबाद सीआर नं0- 109112601566527	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
18	सजय कुमार शर्मा पिता- स्व0 जगदीश शर्मा ग्राम- इस्माइल चक पो0- गोविंदचक थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर नं0- 109112601146935	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

19	जगत महतो पिता— गणेश महतो ग्राम— अदलपुर पो0— शिउरा थाना— शाहपुर पटोरी जिला— समस्तीपुर सीआर न0— 109112601534633	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
20	निर्मल कुमार सिन्हा पिता— स्व0 सुरेश शर्मा ग्राम+पो0— नोनही थाना— काको जिला— जहानाबाद सीआर न0— 109112601209937	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
21	दीपक कुमार पिता— मुन्ना राय ग्राम+पो0— पकडी महम्मद थाना— अमनौर जिला— सारण सीआर न0— 109112100075868	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
22	कमलेश पाठक पिता— राजेद्र पाठक ग्राम+पो0— जयपुर थाना— मेहन्दिया जिला— अरवल सीआर न0— 109112601785687	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			20,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,40,000/- (बीस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000871 द्वारा अंतरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2348 (14)

पटना, दिनांक

18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न पत्र सं०...000871...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,

महावीर कैसर संस्थान,

फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	वारिस खान पिता- मो० सादीक खान ग्राम-मरपा पो०- पीपरा दान थाना- कन्हौली जिला- सीतामढी एम०सी०एस- 10365720	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शमा आरा पति- मंसुर ग्राम- चौदभाग मदनपुर पोस्ट- मदनपुर बाजार थाना- मदनपुर ओ०पी० जिला- अररिया एम०सी०एस- 10367855	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	बच्ची देवी पति- ब्रह्मदेव पासवान ग्राम- सैदपुर पोस्ट- गोखले नगर थाना- बलिया जिला- बेगुसराय एम०सी०एस- 10364176	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

4	सुशील चन्द्र तिवारी पिता- शरद चन्द्र तिवारी ग्राम- गढपर पो0- बिहार शरीफ थाना-बिहार शरीफ जिला नालंदा एम0सी0एस- 10365562	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	नीलम गुप्ता पति दिलिप कुमार ग्राम- पौथु वार्ड 10 पो0- पौथु थाना- पौथु जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस- 10367388	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	केशव कुमार चौधरी पिता- महावीर चौधरी ग्राम-नियर आशा डीप फेयर फील्ड कोल्ली पो0-दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना एम0सी0एस-एफ 94091	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	संजु देवी पति- देवेन्द्र पासवान ग्राम- औरंगपुर पो0- सोनमई थाना- धनरूआ जिला पटना एम0सी0एस- 10362404	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मो0 असार आलम पिता- मेहरूल आलम ग्राम- दुटी पाकर पो0- पाटकोई हाट थाना- कोचाधामन जिला किशनगंज एम0सी0एस-जी0 11470	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	राजेन्द्र दास पिता- गुलाब दास ग्राम-खनेटा पो0+थाना बेलागंज जिला- गया एम0सी0एस- 10368301	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	चंपा देवी पति- स्व0 छोटे दास ग्राम- जमाखारीज दीघा घाट पो0- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना एम0सी0एस- 10367121	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

11	रामजी प्रसाद सिंह पिता- जगदीश सिंह ग्राम+पो0- तिलकपुर थाना- सुल्तानगज जिला- भागलपुर एम0सी0एस-जी0 14132	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	आशा देवी पति- संजय राय ग्राम- गौसी खान पोस्ट+थाना कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-10365692	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	उपेन्द्र महतो पिता-परमेश्वर महतो ग्राम- सिरखिंडी पो0- बहछा थाना- हलसी जिला- लखीसराय एम0सी0एस-10365799	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	रीता देवी पति- दसई पासवान ग्राम- सरमस्तपुर झिटकही पो0- बक्समा थाना- कटहरा जिला- वैशाली एम0सी0एस- 10361954	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	जैबुन अंसारी पिता- मो0 मोबिन ग्राम- चट्टी बाजार पो0- बिशुनपुरा थाना देव जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-10366501	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	रेखा देवी पति- गोपाल राम ग्राम- हीरालाल चौक पो0-बेगुसराय थाना टाउन जिला बेगुसराय एम0सी0एस- 10361928	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	शवाना खातुन पति- मो0 इलियास अंसारी ग्राम- बडहीया पो0- बडहीया थाना बडहिया जिला लखीसराय एम0सी0एस- जी0 8813	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

18	सारिता देवी पति- दिलिप कुमार ग्राम- बुधौली वार्ड 5 पो0- बुधौली थाना-पकरीबरावा जिला नवादा एम0सी0एस- 10364526	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
19	कुन्दन कुमार पिता- देवेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम+पो0-माधोनगर थाना- भवानीपुर जिला- पूर्णिया एम0सी0एस- 10365761	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
20	राधा देवी पति- बैद्यनाथ साह ग्राम- उत्तरी धमौन पो0- 'धमौन थाना-शाहपुर पटोरी जिला समस्तीपुर एम0सी0एस- 10366996	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
21	शमीमा खातुन पति- इस्लाम अंसारी ग्राम- गोविन्द बिगहा पो0- बनतारा थाना- देवकुंद जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 6955	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
22	सरस्वती देवी पति- जगजीतन चौहान ग्राम- मिर्जापुर पो0- मिर्जापुर थाना- हथुआ जिला- गोपालगंज एम0सी0एस- 10367487	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
23	विता देवी पति-महेश सिंह ग्राम- भतन बिगहा पो0- सैदाबाद थाना- काको जिला जहानाबाद एम0सी0एस-10367699	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
24	मीना देवी पति- बाके ठाकुर ग्राम-एकडेरवा पो0- एकडेरवा थाना- गोपालगंज जिला गोपालगंज एम0सी0एस- 10363950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

25	सुषमा देवी पति- बालेश्वर मंडल ग्राम- महेशडीह पो0- महेशडीह थाना- बांका जिला बांका एम0सी0एस- 10366322	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	राधेश्याम कुमार पिता- गणेशी यादव ग्राम-बरदाहा वार्ड 08 पो0- गोट बरदाहा थाना-परमानंदपुर जिला- मधेपुरा एम0सी0एस-10369010	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मरियम खातुन पति- अकबाल मियां ग्राम- बरमोतर पो0- हिंगुआ थाना-भरगामा जिला अररिया एम0सी0एस-जी0 13882	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	रविन्द्र चौधुर पिता-स्व0 कृष्ण चौधुर ग्राम- त्रिलोकवा पो0- राजपुर केन्हिया थाना केसीरया पी0सी0 जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- 10365231	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	विन्देश्वरी महतो पिता- मकरध्वज महतो ग्राम-दरिहारा निसक पो0- दरिहारा थाना- दरियापुर जिला- सारण एम0सी0एस-10366546	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	हसबुन निशा पति- मुस्ताफा ग्राम- माघापुर पो0- रूणकी थाना-रोटा जिला-पूर्णिया एम0सी0एस- 10362720	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	राज कुमार झा पिता- स्व0 जडडु झा ग्राम- ब्यासपुर वार्ड 7 पो0- सारंगपुर थाना- हलई जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस- 10324214/एफ 78322	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

32	ललीता देवी पति- किशुन चौधरी ग्राम+पो0- जगदीशपुर थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर एम0सी0एस- 10366156	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	कलावती देवी पति- कैलाश यादव ग्राम- सरैरुा सोनुआर टोला पो0- सरैया थाना- पहाडपुर जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- 10365332	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	सुमन सदा पिता- सीताराम सदा ग्राम- बकौर पो0- बकौर थाना- सुपौल जिला- सुपौल एम0सी0एस-जी0 7061	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	अजमीरा बेगम पति- सब्बीर आलम ग्राम- हमला पो0-बीबी भरतपुर थाना- पौआखाली जिला- किशनगज एम0सी0एस-जी0 4024	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	अरविन्द कुमार सिन्हा पिता- स्व0 गणेश प्रसाद सिन्हा ग्राम- दीवान मोहल्ला तारणी प्रसाद लेन, पो0- पटना सिटी थाना- खाजेकला जिला पटना एम0सी0एस- 10363776	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	कंचन देवी पति अशोक कुमार ग्राम-रामकृष्ण नगर घाना कोलनी, पो0-न्यु जगनपुरा थाना- रामकृष्ण नगर जिला पटना एम0सी0एस-10366479	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	अंतिमा कुमारी पति- उमाशंकर प्रसाद ग्राम-न्यु बंगाली टोला नीयर प्रिया प्रेस पो0- जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर जिला पटना एम0सी0एस-10367835	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

39	चम्पा देवी पति- नरेश शर्मा ग्राम- मीरअलीपुर पो0- विष्णु शुगर मिल्स थाना-थावे जिला गोपालगंज एम0सी0एस-10368383	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	तुलसी राम पिता- शिव गोविन्द राम ग्राम- रघुनाथपुर पोस्ट-मीरपुर थाना चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- 10367980	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	मणिकान्त यादव पिता- घनश्याम यादव ग्राम- चक्रोशन पो0- संझा थाना रजौन जिला बाका एम0सी0एस- 10365652	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	मो0 आहान पिता- मो0 अफरोज आलम ग्राम- हाजी मोहल्ला जोगबनी पो0- जोगबनी थाना- जोगबनी जिला- अररिया एम0सी0एस- 10368335	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	सुनैना देवी पति- शिव जनम सिंह ग्राम- रामगढ़ महुआवा पोस्ट+थाना पीपरा कोठी जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 56124	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	मंटु सिंह पिता- रमीत सिंह ग्राम- घोसैठ पो0- पीरी बाजार थाना- पीरी बाजार जिला- लखीसराय एम0सी0एस-10361098	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	शिवानी कुमारी पिता दिनेश पासवान ग्राम-मुस्तफापुर पो0- पलटपुरा थाना-मानपुर जिला- नालदा एम0सी0एस- 10367280	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

46	रूपा देवी पति— सुरेश चौधरी ग्राम—केनारडीह पो0— केनारचट्टी थाना— वजीरगंज जिला— गया एम0सी0एस—जी0 9477	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
47	सोनाझरी देवी पति—कृष्ण कुमार सिंह ग्राम—चरवाही पो0— चकई थाना—धनगाई जिला— भोजपुर एम0सी0एस—जी0 3908	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
48	आकांक्षा कुमारी पिता—जितेन्द्र कुमार पासवान ग्राम— गोगो पो0—रजबरिया कला थाना— नबीनगर जिला— औरंगाबाद एम0सी0एस—10368538	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
49	शोभा देवी पति— उमेश पासवान ग्राम—बंध्य छपरा पो0—बुधु छपरा थाना—बडहरा जिला— भोजपुर एम0सी0एस—10366866	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
50	झुम्या देवी पति— विनोद जैसवाल ग्राम—ठाकुरबाडी रोड पो0— अररिया थाना+जिला— अररिया एम0सी0एस—10367686	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
51	राज नदन प्रसाद पिता— लालजी महतो ग्राम— ननौक पो0— बीजु बीगहा थाना— बुनियादगंज जिला— गया एम0सी0एस—10368402	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
52	सौता देवी पति— धनंजय कुमार वर्मा ग्राम— अमनौर सुल्तान वार्ड 8 पोस्ट— अमनौर थाना—अमनौर जिला— सारण एम0सी0एस— 10363589	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

53	शम्भु प्रसाद सिन्हा पिता जानकी लाल ग्राम-अमौना पो0- सुदरगज थाना- रिसियप जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 89075	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	उर्मिला देवी पति- बिल्दु महतो ग्राम+पो0-पोखराम थाना- बिरौल जिला- दरभंगा एम0सी0एस- 10367141	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	मो0 रिजवान पिता-मो0 शाहबुद्दीन ग्राम-मुरबला पो0- कमलपुर थाना-बी0 कोठी जिला पूर्णिया एम0सी0एस-10367954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	कुदरत अंसारी पिता- मो0 गुलाम पीर अंसारी ग्राम- नुआंव पो0- कबिलासपुर थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ एमसीएस नं0- जी 13726	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	दिनेश कुमार पिता- लौंगदारी राम ग्राम- चौक पटना सिटी आगा हसैन का चौराहा नया टोला पटना सिटी पो0- झाऊगज थाना- चौक जिला- पटना एमसीएस नं0- 10366430	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	अशवंती देवी पति- बिनोद कुमार सिंह ग्राम- न्यू एरिया पो0- औरंगाबाद थाना- टाउन जिला- औरंगाबाद एमसीएस नं0- एफ 80733 / 10326625	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 46,40,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 46,40,000/- (छिआलीस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000871... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम—'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 39121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2359(14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
कंकडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक .

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रदीप आनंद पिता— बच्चू प्रसाद ग्राम— न्यू सबजपुरा अपोजिट बी0 एम0 पी0 16 नियर कृषि फार्म पो0— खगौल थाना— फुलवारीशरीफ जिला— पटना	ACL Tear Lt Side Surgery	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	नौवलेश कुमार पिता— स्व0 सुरज प्रसाद ग्राम— बसतपुर हरहर पोस्ट— पिंजौरा थाना— काको जिला— जहानाबाद	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	बासमती देवी पति— धर्मनाथ राय ग्राम— चहपुरा पोस्ट—सढवारा थाना— इसुआपुर जिला— सारण	Total Knee Replacement	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	गौरी शकर प्रसाद पिता— तुनेश्वर प्रसाद ग्राम+पोस्ट— माधोपुर थाना— चंडी जिला— नालदा	Knee Replacement Lt	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

5	अमरेन्द्र कुमार पिता- सूर्यकांत प्रसाद सिंह ग्राम- गचिया पो- धोरैया थाना- धोरैया जिला- बाका	Tendo- Achills Rupture Lt Side	20,000	बीस हजार स्वीकृत, विशेष परिस्थिति में।
			3,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ **3,80,000/-** (तीन लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **000871**..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN606379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुकों को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2364(14)

पटना, दिनांक 18/8/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० **000871**.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई डी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,

कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक...

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	साजदा खातून पति- काकरुदीन अंसारी ग्राम- पुल झारीटोला पो०- बगलवा थाना- लडैयाटाड जिला- मुंगेर	हृदय रोग बीएमभी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	रबिश कुमार पिता- रामाशीष सिंह ग्राम- बीहट गुरुदासपुर टोला पो०- बीहट थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय	हृदय रोग बीएमभी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	सुरेन्द्र मंडल पिता- दयानंद मंडल ग्राम- गीदवास वार्ड 11 पो०- गीदवास थाना- रानीगंज जिला- अररिया	हृदय रोग सीएबीजी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	रघुनाथ सहनी पिता- लक्ष्मन सहनी ग्राम- फतेहपुर धमौली रामनाथ पो०- कलवारी थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग पेसमेकर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स० 30121380424,

आई0, बेली रोड, शाखा पटना के फ्रांस चेक सं0 000871/..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम—“निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना” खाते का प्रकार— चालू बैंक का नाम—इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम—कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. अणुष्ण भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको के सदस्य चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2360 (14)

पटना दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलर चेक सं0. 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/8/26
निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
कंकडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.. ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	काजल कुमारी पति— अजय कुमार ग्राम+पो0— चौदपुरा थाना— राघोपुर जिला— वैशाली	हृदय रोग एमबीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अजय कुमार पिता— उमाशंकर प्रसाद ग्राम— सक्सेना रोड मस्तीपुर पो0+थाना— बोधगया जिला— गयाजी	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/—(एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000871 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0— 1499002109000623 खाता धारक का नाम—“राजेश्वर अस्पताल” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिन्ता प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

सं. मांक 2361(14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रागिनी कुमारी पति- रोहित राज ग्राम- मिर्जापुर दिघरा पो0- रामगढा थाना- अवतारनगर जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	अरुण पंडित पिता- राम बरन पंडित ग्राम+पो0- पानापुर लगा थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
3	त्रिवेणी देवी पति- शम्भुनाथ झा ग्राम- तीरी पो0- धनछोहा थाना- बैजनाथपुर जिला- सहरसा	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	श्याम सुन्दर साफी पिता- लखन साफी ग्राम- नवटोली पो0- नगवास थाना- अरेर जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	नागदेव राय पिता- शिवनंदन राय ग्राम- रामनगर करारी कछार पो0+थाना- अथमलगोला जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	कुमार शशि रंजन पिता- राजेन्द्र कुमार ग्राम- देवरिया पो0- मधार थाना- वेन जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
7	मीणा देवी पति- रामानंद चौहान ग्राम- बेनीपुर पो0+थाना- रूपो जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
8	आदित्य कुमार पिता- मनोज कुमार ग्राम- तेमथा राका पो0+थाना- बरबत्ता जिला- खगडिया	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
9	बच्चीया देवी पति- स्व0 भीगु साहनी ग्राम- कुआडीडीह पो0- राधागंज थाना- भोरे जिला- गोपालगंज	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
10	बाल मुकुंद झा पिता- आनंद मोहन झा ग्राम+पो0- ठेगहा थाना- सकतपुर जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
11	किस्मत देवी पति- रामा प्रसाद चौरसिया ग्राम- जदुआ बरई टोला पो0- हाजीपुर थाना- औद्योगिक क्षेत्र जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
12	सुबोध कुमार पिता- नंदकिशोर प्रसाद ग्राम- बनबाग पो0- महमुदा थाना- खुदागंज जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी (सर्वाइकल)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

13	कृष्णदेव पाठक पिता- स्व० नन्द कुमार पाठक ग्राम- लसरा पो०- सनानपुरा थाना- खुदावा जिला- औरंगाबाद	स्पाईन सर्जरी (सर्वाइकल)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
14	अजीजन बीबी पति- जलील अंसारी ग्राम+पो०- डोहर थाना- रसूलपुर जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी (सर्वाइकल)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
15	प्रभाकर कुमार गुप्ता पिता- रामचंद्र साह ग्राम+पो०- जगदीशपुर थाना- साहेबगंज जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी (सर्वाइकल)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
16	मो० सज्जाद आलम पिता- दोसत मोहम्मद ग्राम- मुराजपुर पो०-थाना- डगरूआ जिला- पूर्णियाँ	स्पाईन सर्जरी (सर्वाइकल)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
17	कृष्णा देवी पति- राम प्रवेश भगत ग्राम- अन्याय पो०- बभंगावान थाना- परसा जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी (सर्वाइकल)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			16,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,85,000/- (सोलह लाख पचासी हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 000871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्राउंड फ्लोर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी

बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2362(14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई.सी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गुल महम्मद पिता- फौदार मिया ग्राम- धोबवल पो०- धनाव थाना- बनियापुर जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अनिल कुमार पिता- जमुना प्रसाद ग्राम- पांडेय चक पो०- बरखुर्द थाना- नूरसराय जिला- नालंदा	हृदय रोग बीएमभी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	रमेश ठाकुर पिता- रामजीवन ठाकुर ग्राम+पो०+थाना- चोरोत जिला- सीतामढ़ी	हृदय रोग सीएबीजी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	राम बालक निराला पिता- सुखदेव यादव ग्राम+पो०- धरहा थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
5	निखिल कुमार पिता- बिरजू मिस्त्री ग्राम- सिकरीपर पो०- बारा थाना- वेन जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	शशिकला देवी पति- नंदलाल राम ग्राम+पो0- छाता थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	अजीत कुमार पिता- अरविन्द कुमार ग्राम- विक्रमपुर पोस्ट+थाना- परवलपुर जिला- नालदा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	राजनन्दनी देवी पति- श्रवण कुमार ग्राम- चमथा पोस्ट- चमथा छोटखुट थाना- बछवाडा जिला- बेगुसराय	हृदय रोग बी0 एम0 भी0	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	नंदलाल राम पिता- बनवारी राम ग्राम+पो0- छाता थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर, भभुआ	हृदय रोग सी0ए0 बी0 जी0	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	विजय कुमार गुप्ता पिता- गुलाब चन्द्र साव ग्राम+पो0- कर्मनाशा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर, भभुआ	हृदय रोग सी0ए0 बी0 जी0	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	सुनीता देवी पति- अशोक कुमार ग्राम+पो0- कर्मनाशा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर, भभुआ	हृदय रोग सी0ए0 बी0 जी0	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			8,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 8,45,000/- (आठ लाख पैंतालीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000 871 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2363 (14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हमीदन खातून पति- शौकत असारी ग्राम- श्रीकातपुर पो०- जलहरा थाना- राजपुर जिला- बक्सर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	अजमत आरा पति- शौकत अली ग्राम+पो०- सोनसीहरी थाना- मुफ्फसिल जिला- नवादा	हृदय रोग पीटीसीए + स्टेन्ट	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	रामायण पासवान पिता- गरजू पासवान ग्राम- गौरा पो०+थाना- रामपुर चौरम जिला- अरवल	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	सदन प्रसाद पिता- जालिम प्रसाद सिंह ग्राम- धनावां बिगहा पो०- गोपालबाद थाना- सरमेरा जिला- नालंदा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			3,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,40,000/- (तीन लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **000871** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0 HDIFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. अ. प्रधान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक, प्रमुख

ज्ञापक 2365(14)

पटना, दिनांक

18/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि तलम चेक सं0 **000871** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक.. ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बेबी देवी पति— नविन यादव ग्राम— यादव टोला मझुआ पो०— लकुनमा थाना— बौसी जिला— अररिया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सत्येद्र कुमार पिता— राजेद्र यादव ग्राम— दरियापुर गोला गोबर टोली गली पो०— बाकीपुर थाना— कदमकुआं जिला— पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सावित्री देवी पति— विंदेश्वर प्रसाद ग्राम— पतुआना पो०— बिहार शरीफ थाना— बिहारशरीफ जिला— नालंदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000871... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 440720110090498

खाता धारक का नाम— Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० RUID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. मरीज राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको का मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

जापाव 2366(14)

पटना, दिनांक 18/8/2021

प्रति— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग चेक सं० 000871की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रति— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बुद्धा कैंसर सेटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक.

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आशा देवी पति- गोबर्धन पंडित ग्राम- सेमरिया वार्ड 05 पो0- सेमरिया थाना- नौतन जिला- सिवान	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	चितरजन महतो पिता- सजीवन महतो ग्राम- चंगेल वार्ड 05 पो0- चंगेल थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कुंदन देवी पति- मटू साह ग्राम- कुमारपुर पो0- कटहरा थाना- सुलतानगंज जिला- भागलपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	रुनिया देवी पति- स्व० रामाअशीष यादव ग्राम- धावापर पो0- ओयना लाखापुर थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



5	लालबहादुर मिया पिता- मोहरम मियां ग्राम+पो0- जौकटिया थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	मटु कुमार पिता- सुरेद्र प्रसाद ग्राम- हरिहरगज वार्ड 10 पो0+थाना- नादरीगज जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	शंकर राम पिता- चूल्हाई राम ग्राम- अदौरी वार्ड 10 पो0- अदौरी थाना- पुरनहिया जिला- शिवहर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	रम्भा देवी पति- बिपिन महतो ग्राम- चमही वार्ड 06 पो0- कपूर पकडी थाना- शिकागज जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मोबिना खातून पति- मो0 इरशाद ग्राम- सिमरवारा वार्ड 07 पो0- सिमरवारा थाना- पातपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	कुशल देवी पति- बलराम राय ग्राम- मखदुमपुर दिघा घाट वार्ड 22 पो0+थाना- दीघा जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	पार्वती देवी पति- सीता राम यादव ग्राम+पो0- पिपरा देवास थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	भिबभ शर्मा पिता- राजपति शर्मा ग्राम- कुसरे वार्ड 13 पो0- पंडुरा रामपुर थाना- सदेस जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	सुषमा देवी पति- शिव बचन पासवान ग्राम- बरावें वार्ड 03 पो0- बरावें थाना- नोखा जिला- रोहतास	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	बीबी नाजविन खातून पति- मो0 नौसाद आलम ग्राम- चकई वार्ड 10 पो0- चकईहाट थाना- जोकिहाट जिला- अररिया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	रुना देवी पिता- रामधारी सहनी ग्राम-चेरियाबरियारपुर पो0- श्रीपुर थाना- चेरियाबरियारपुर जिला- बेगूसराय	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	पदमा देवी पति- जलधर यादव ग्राम+पो0- सुखासन थाना- कुमारखंड जिला- मधेपुरा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	वीणा देवी पति- सरवन कुमार साह ग्राम- मदनपुर बाजार वार्ड 12 पो0+थाना- मदनपुर जिला- अररिया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	संजू कुमारी पति- उमा कान्त साह ग्राम- नंदग्राम पो0+थाना- धमदाहा जिला- पूर्णियाँ	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	मो0 शाकिर असारी पिता- स्व0 शाबिर असारी ग्राम- काली बाजार वार्ड 23 पो0+थाना- अररिया जिला- अररिया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			15,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,20,000/- (पन्द्रह लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैंसर सेंटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2367 (iv)

पटना, दिनांक 18/8/2024

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000871...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/8/26
निदेशक प्रमुख

सं० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज लाल साह पिता- धनवीर साह ग्राम- मदनडोभ पो०- खोजपुर थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सरयू चौधरी पिता- कोदो चौधरी ग्राम- महोरिया पो०- ककवारा थाना- बांका जिला- बांका	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पंकज मिश्रा पिता- मकसूधन मिश्रा ग्राम- रामपुर पो०- किलपुर थाना- नौतन जिला- सिवान	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	कन्हैया लाल शर्मा पिता- भजन लाल शर्मा ग्राम+पो०- बरदाहा थाना- बरदाहा जिला- अररिया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	कलावती देवी पति- अशोक कुमार मडल ग्राम- भुताहा पो0- भिरभीरी थाना- सिकटी जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	पूनम देवी पति- जयनारायण महतो ग्राम- सोमनाहा चकसीमा पो0- सामनाहा मिर्जानगर थाना- चकमेहसी जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	शहनाज परवीन पति- मो0 निजामुद्दीन ग्राम- दरियापुर कुतुबुद्दीन लेन पो0- बांकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			5,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,60,000/- (पाँच लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एरा0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000871... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- सुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज के अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जाएगा।
- यदि प्रकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता

कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

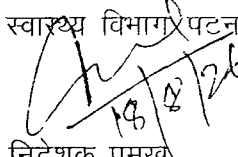
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2368 (14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना./आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18/8/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 12.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेंद्र यादव पिता— स्व० प्रगाश यादव ग्राम— जौडा पो०— महसु थाना— अम्बा जिला— औरंगाबाद	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक.(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स०— KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2369 (14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि शलग्न चेक सं० 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई बी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,

मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,

साउथ ऑफ कुम्हार ब्रिज, पटना-800007

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ऋषी कुमार पिता- रामप्रवेश राय ग्राम+पो0- सुल्तानपुर थाना- देसरी जिला- वैशाली	सर्जरी (स्पाईन)	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	सुनीता देवी पति- राजाराम पासवान ग्राम- जमुआवन पो0- ताजपुर थाना- सहकार जिला- गयाजी	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,60,000	

अनुदान की कुल राशि ₹0 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 1002871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्स्फर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुकों को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय !

विश्वासभाजन

ह०/—

, (डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

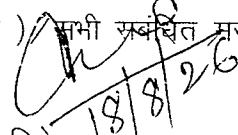
निदेशक प्रमुख

संख्यांक 2370(14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बैंक सं० 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरेस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 12.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बबिता देवी पति- गोपाल जी दुबे ग्राम+पो०- बडका ढकाईच थाना- कृष्णाब्रह्म जिला- बक्सर	कैंसर/ट्यूमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	जय प्रकाश कुमार पिता- महेद्र पाल ग्राम+पो०- बरनावे थाना- आयर जिला- भोजपुर	दुर्घटना/ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	बिट्टू कुमार पिता- रजीत राम ग्राम- मुरादपुर पो०- सेवथा थाना- नारायणपुर जिला- भोजपुर	कैंसर/ट्यूमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अमरजीत साहनी पिता- स्व० इन्द्रदेव साहनी ग्राम- लालगंज पो०- डेहरी ऑन सोन थाना- डालमियानगर जिला- रोहतास	दुर्घटना/ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			2,60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के द्वारा चेक सं0 0000871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं0 50200020792300 खाता धारक का नाम— M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एचडीएफसी0, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग, को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय,।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

झापाक 2371(14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 0000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	लालपरी देवी पति- बिपीन मांझी ग्राम- अतौआ पो०- गोनावां थाना- कादिरगज जिला- नवादा	हृदय रोग डीभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सुभम कुमार पिता- सुरेश कुमार सिंह ग्राम+पो०- नवादा थाना- मशरक जिला- सारण	हृदय रोग टीओएफ	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मीना देवी पति- सुबोध चौधरी ग्राम- मिर्जापुर धोबाही पो०- मथुरापुर थाना- फतेहपुर जिला- शिवहर	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रामदुलारी देवी पति- वीगन सिंह ग्राम- जहांगीरपुर करहरी मठिया पो०- करहरी थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	प्रमीला देवी पति- कामेश्वर सिंह ग्राम- रायबाग पो- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगंज जिला- पटना	हृदय रोग एमबीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	अजय नट पिता- परमा नट ग्राम+पो- धेनुकी थाना- पानापुर जिला- सारण	हृदय रोग एमबीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			6,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,50,000/- (छः लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 0000871... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , एफ० सी०/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सद्विधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की सम्भावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली

रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2372(14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/8/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
HDNA AAROGYAM HOSPITAL,
IAS Colony, Behind Damro Furniture Showroom,
Off Rupaspur Flyover, Bailley Road, Rupaspur,
Patna – 801503

पटना, दिनांक.

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अंकित कुमार पिता— ब्रज किशोर कुमार गिराला ग्राम— चेतन परसा वार्ड 02 पो०+थाना— परसा जिला— सारण	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,75,000/- (दो लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000874 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 41174672661, खाता धारक का नाम— CUREMARK HEALTHCARE PVT. LTD, खाते का प्रकार— CURRENT ACCOUNT, बैंक का नाम— STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम— SAGUNA MORE PATNA, RTGS/IFSC कोड सं०— SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2373 (14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि राशिका चेक सं० 020871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बी0एस0एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न0-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	गौन माझी पिता- नन्हक मांझी ग्राम- बरी पथ बिरल मंदिर रोड नई देवी अस्थान पो0- बांकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	कपिल मिस्त्री पिता- विशेश्वर मिस्त्री ग्राम- राजवा पो0- मोहम्मदपुर थाना- अस्थवां जिला- नालंदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	महेश साव पिता- जगेश्वर साव ग्राम- कैरी पो0- मेयार थाना- नूरसराय जिला- नालंदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	मछिया देवी पति- कुलदीप महतो ग्राम- तारवाली गली नजदीक भवर पोखर पो0- बांकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	आशामुन्नी देवी पति— रविन्द्र प्रसाद यादव ग्राम— बडका गाव तिवारी टोला पो0— बडकागांव थाना— मीरगज जिला— गोपालगज	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	सारदा देवी पति— स्व0 रामा शंकर ग्राम— अंटा घाट बाकीपुर पो0— बांकीपुर थाना— गांधी मैदान जिला— पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	वेद प्रकाश नारायण पिता— स्व0 बलदेव प्रसाद गुप्ता ग्राम— खजुराहा पो0— हरेवा थाना— सलखुआ जिला— सहरसा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	सुरेश शर्मा पिता— रामचंद्र शर्मा ग्राम— बारी पथ बिरला मंदिर रोड पो0— बाकीपुर थाना— पीरबहोर जिला— पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	भीष्मा देवी पति— शिव कुमार सिंह ग्राम— बैकटपुर राजपूत टोला पो0— बैकटपुर थाना— खुशरूपुर जिला— पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 90,000/- (नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **000871** ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0—295711100000885 खाता धारक का नाम—B.S.L. EYE CARE खाने का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुंआ RTGS/IFSC कोड सं0 UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

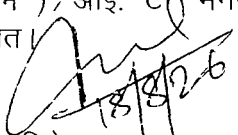
निदेशक प्रमुख

ज्ञाप्तांक 2374(14)

पटना, दिनांक- 18/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी। मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक

विषय:— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	रिया देवी पति— प्रमोद कुमार ग्राम— भट्टा रोड पो०— दानापुर थाना— दानापुर जिला— पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	मीणा देवी पति— मुनिलाल प्रसाद ग्राम— कोल्हरामपुर पो०— पचरुखिया काता थाना— बडहरा जिला— भोजपुर	Cataract Surgery	10 000	दस हजार स्वीकृत।
			20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/— (बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 000871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 333905000940 खाता धारक का नाम—Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

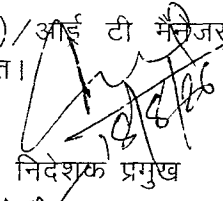
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2375 (14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त काउंटर-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पुनिया देवी पति- राजनंदन रविदास ग्राम- मोसिमगज पो०+थाना- एकगरसराय जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	बहादुर राय पिता- श्रीचन्द्र यादव ग्राम+पो०- नरारी थाना- थरथरी जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	बनसो देवी पति- सुरेश प्रसाद ग्राम- तेलिया माई पो०+थाना- तेल्हारा जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	रामाशीष मिस्त्री पिता- बेचन मिस्त्री ग्राम- बधनपुरा पो०- असाढी थाना- हिलसा जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	देवनन्दन यादव पिता- हरिहर गोप ग्राम-कथनपुरा पो०- अजयपुर थाना- नूरसराय जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	धानगीर मांझी पिता- चलिंतर मांझी ग्राम- तेतरी पो0- नदवां थाना- धनरूआ जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	फुलेश्वरी देवी पति- अमरनाथ सिंह ग्राम-गौहरपुर पो0- कोठिया थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	माधुरी देवी पति- पवन पंडित ग्राम- माधोपुर पो0- रूकुनपुर थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	किशुन प्रसाद पिता- भोला यादव ग्राम- लालसाचक पो0- पत्थरहाट थाना- धनरूआ जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	मोती लाल प्रसाद पिता- गुरु शरण प्रसाद ग्राम- लालसाचक पो0- पत्थरहाट थाना- धनरूआ जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	अयोध्या प्रसाद पिता- जागेश्वर प्रसाद ग्राम- थानुबिगहा पो0+थाना- थरथरी जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत !
12	राजेंद्र प्रसाद पिता- जगदीप प्रसाद ग्राम- थानुबिगहा पो0- छरियारी बुजुर्ग थाना- थरथरी जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	रूबी देवी पति- सुन्दर प्रसाद ग्राम- अतवाल बिगहा पो0- भतहर थाना- थरथरी जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

14	बृजू बिद पिता— गनौरी प्रसाद ग्राम— केनुआ पर पो0— बसडीह थाना— थरथरी जिला— नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	जोगी राय पिता— कमल यादव ग्राम— जमुआवन पोस्ट— पनडुई थाना— परस बिगहा जिला— जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	जय कालिया देवी पति— कृष्णा कुमार ग्राम— जमुआवन पो0— पंडोई थाना— परसबीगहा जिला— जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	जानकी महतो पिता— शिव नारायण महतो ग्राम— जमुआवन पो0— पंडोई थाना— परसबीगहा जिला— जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	झुनिया देवी पति— सुनील कुमार ग्राम— जमुआवन पो0— पंडोई थाना— परसबीगहा जिला— जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	कुती देवी पति— जवाहर राय ग्राम— दिहारी पो0— दिहारी थाना पीपडा जिला पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	मदन यादव पिता— अवधेश यादव ग्राम— जमुआवन पो0— जमुआवन थाना— पनडुई जिला— जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	शिव जानकी देवी पति— अवधेश शर्मा ग्राम— मोकर पोस्ट— मोकर थाना— कडौना जिला— जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

22	सुरेश शर्मा पिता-अजय शर्मा ग्राम- मोकर पोस्ट- मोकर थाना-कडौना जिला- जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	सुरेश राय पिता- कमल यादव ग्राम- जमुआवन पोस्ट- पडुई थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	राजेन्द्र राय पिता- विश्वनाथ यादव ग्राम- जमुआवन पोस्ट- पनडुई थाना परसबीघा जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	चन्द्रमा राय पिता- विश्वनाथ यादव ग्राम- जमुआवन पो0-पनडुई थाना- परसबीघा जिला- जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	विमला देवी पति- मुकेश शर्मा ग्राम- जमुआवन पो0-पनडुई थाना- परसबीघा जिला- जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	फुलकुरी देवी पति- राज नंदन यादव ग्राम- मोकर पोस्ट- मोकर थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	राजमनी देवी पति- मनोज बिन्द ग्राम- मोकर पोस्ट- मोकर थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			2,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के द्वारा चेक सं० ~~000871~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- **18940210000786** खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL FVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK,

KURJEE, PATNA, शाखा का नाम— KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड स0 UCBA0001894 मे अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2376 (14)

पटना, दिनांक 18/8/2024

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 000871 को कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

देवती देवी
पति- उपेन्द्र सिंह
ग्राम- रतनपुरा वार्ड 12
पो०+थाना- शाहपुर
जिला- भोजपुर
पिनकोड- 802165

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
	देवती देवी पति- उपेन्द्र सिंह ग्राम- रतनपुरा वार्ड 12 पो०+थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर पिनकोड- 802165	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /--	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /-- (एक लाख आठ हजार)) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424, एस० बी० आई०, बेती रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं० 315278501, खाता धारक का नाम- DEWANTI DEVI, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CANARA BANK, शाखा का नाम- SAJHAULI, IFSC कोड सं०- CNRB0001710 में अंतरित किया जाता है।
3. निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी भी अन्य राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

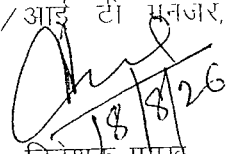
ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

झापाक 2387(14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18/8/26
निदेशक प्रमुख

ALBERT EINSTEIN 1879-1955

THE EISENHOWER LIBRARY

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

सो 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

सदफ नाज

पति- मंसूर आलम

ग्राम- सहदुल्लेपुर

पो०- मानिकपुर

थाना- गोपालगज

जिला- गोपालगज

पिनकोड- 841428

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कानि-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सदफ नाज पति- मंसूर आलम ग्राम- सहदुल्लेपुर पो०- मानिकपुर थाना- गोपालगज जिला- गोपालगज पिनकोड- 841428	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-4745000100178100, खाता धारक का नाम- SADAF NAJ W/O MANSUR ALAM, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम- MIRGANJ, IFSC कोड सं०- PUNB0474500 में अंतरित किया जाता है।

3. निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

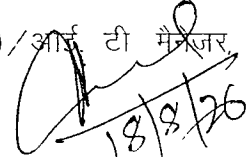
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2388 (14)

पटना, दिनांक 18/8/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18/8/26
निदेशक प्रमुख

MIRGAMI ID: STT-GOPALGANJ

MIRGAMI ID: STT-GOPALGANJ

ACCOUNT PARTICULARS

NICR Code: 8418/4601

IFSC Code: PUNB0474500

Contact: Toll Free-1800-1802222/18001032222. Toll-free 91-2021802222

Principal Nodal Officer: Pbn-01123715125, Fax-01123715125

Mode of Operation: SELF

Customer No.: HAN02456

Account No.: 84560100108100

SMT SADAF NAJ 170 KANSUR ALAM

SADULLAH PUNJ

GOPALGANJ

GOPALGANJ

BIRAK

INDIA

Vic. 84/474

Notification Registered at Sl.No. 1028-0200

Nominee Name: KANSUR ALAM

Date of Issue: 2-05-2015

Brought Forward	BS	Over Se	SO
Carried Over	CO	Interest	Intt
Cash	Cash	Inter Bank Transfer	IBT
Cheque	Ch	Local Cheque Demand Draft	LDD
Cleaning	Cig	National Electronic Fund Transfer	NEFT
Commission	Com	Outstanding Cheques B/s	OB
Discount	Disc	Outstanding Cheques B/s Purchased	DD
Dividend Warrant	DW	Real Time Gross Settlement	RTGS
Draft	Dit	Returning	Rtg
Electronic Clearing Services	ECS	Transfer	Tr
Incidental Charges	IC		



Blank space for signature or stamp.

नाम/Name

प्राधिकारी अधिकारी/प्रबंधक / Authorised Official Manager

कम्प्यूटर द्वारा सृजित विवरणियों पर किसी अधिकारी द्वारा अस्वीकृत करने/अवतरण करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया कम्प्यूटर द्वारा सृजित पासबुक/विवरणों पर हस्ताक्षरित (मैन्युअल) प्रविष्टियाँ स्वीकार न करें।

Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication/initial from bank official. Please do not accept any manual entry in your computer generated Pass Book/Statement of account.

खाताधारक/Account Holder-1 खाताधारक/Account Holder-2 खाताधारक/Account

बैंक ग्राहक के बैंक को सकारने अथवा भुगतान करने के लिए पिछले दिन के शेषों तथा सकलित दिन के खाते से एटीएम व इंटरनेट द्वारा आहरित प्रविष्टियों का ध्यान रखें।

Bank shall only honour or pay the cheques of the customers against clear balance upto the previous day and against clear balance including withdrawals made through Internet Banking & ATMs having regard to the withdrawals of the day already made in the account.

कृपया पास बुक न मोड़ें PLEASE DO NOT FOLD THE PASS BOOK

24 घंटे नि शुल्क कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध है। 1800-1802222 / 18001032222
Toll free 24 hours call centre 18001802222 / 18001032222

Account No - 84560100108100

IFSC Code - PUNB0474500

सं० सं० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

नूर आलम
पिता- अली हसन अंसारी
ग्राम-पो०- खाजे चौद छपरा
थाना- गोरौल
जिला- वैशाली
पिनकोड- 844112

पटना दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	गरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नूर आलम पिता- अली हसन अंसारी ग्राम-पो०- खाजे चौद छपरा थाना- गोरौल जिला- वैशाली पिनकोड- 844112	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-40355375036, खाता धारक का नाम- NOOR ALAM, खाते का प्रकार-REGULAR SEVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SARAI, IFSC कोड सं०-SBIN0012555 में अंतरित किया जाता है।

निर्दिष्ट दिनांक है कि, उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद्दे में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

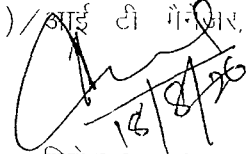
ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2389(14)

पटना, दिनांक 18/8/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेल्ही रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~000871~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18/8/24
निदेशक पटना

[illegible]

ADP: S10011
A/C Opening Ref: 11/08
NIN Ref No: 00000134
Customer's P.N. MFAPA
00000134 11/08

卷之四

पेशक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

इमरान अली

पिता- अनवर हुसैन

ग्राम+पो०- रेवतिथ

थाना- बैकुण्ठपुर

जिला- गोपालगंज

पिनकोड- 841409

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इमरान अली पिता- अनवर हुसैन ग्राम+पो०- रेवतिथ थाना- बैकुण्ठपुर जिला- गोपालगंज पिनकोड- 841409	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000871... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-1005281030156317, खाता धारक का नाम- IMRAN ALI, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BIHAR GRAMIN BANK, शाखा का नाम-REOTITH, IFSC कोड सं०- PUNB0MBGB06 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

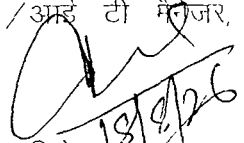
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2390 (14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

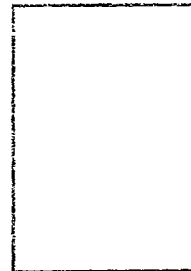
प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18/8/26
निदेशक प्रमुख



बिहार ग्रामीण बैंक
BIHAR GRAMIN BANK

खाता विवरण
ACCOUNTS PARTICULARS



Name LINKIN Name _____ Name _____
Account Holder-1 Account Holder-2 Account Holder-3

[Handwritten signature and stamp]

BRANCH NAME

BRANCH MANAG

पास-बुक में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप
ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK

Clearing	आवृत्ति	Reserve
Transfer	आवृत्ति	Incidental Charges
Cheque	आवृत्ति	Carried Over
Commission	आवृत्ति	Brought Forward
Interest	आवृत्ति	Draft
Discount	आवृत्ति	Cash

आपका पास बुक महीने में कम से कम एक बार अवश्य अद्यतन कराएँ।
Please get your Pass Book updated once a month

उपरोक्त बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रणालि के अंतर्गत बैंक ग्राहकों के चेकों को
भुगतान करने के लिए गत दिन के शेष तथा मध्यम दिन में खात
में शेष राशि का ध्यान रखेंगे।

Under Centralised Banking Solution System: Bank shall only honour
or pay the cheques of the customers against clear balance up to the
previous day and having regard to the draws of the day already
made in the account

A/c - 1005281030150317
IFSC code - PUNB0MBGB06

शुन्य

सं० सं० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अनीश कुमार
पिता— स्व० जवाहर प्रसाद सिंह
ग्राम— सिपाही टोला बक्सा घाट
पो०— मधुबनी
थाना— के हाट
जिला— पूर्णियाँ
पिनकोड— 854301

पटना दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 12.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कोलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनीश कुमार पिता— स्व० जवाहर प्रसाद सिंह ग्राम— सिपाही टोला बक्सा घाट पो०— मधुबनी थाना— के हाट जिला— पूर्णियाँ पिनकोड— 854301	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प सख्या— 213(14), दिनांक— 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /— (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०—30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०—168522010001365, खाता धारक का नाम— ANISH KUMAR, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम—BHATTA BAZAR, PURNIA, IFSC कोड सं०— UBIN0916854 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग कवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० /—
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 239/14)

पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000871... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खातधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/8/26
निदेशक प्रमुख

30

1000000

PAY

RUPES

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000